राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – (1–2) 1825/2015 व 1826/2015..... जिला .....श्रीगंगानगर.....

उनवान : मैसर्स ओरबिट इन रिसॉर्ट्स, श्रीगंगानगर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर बीकानेर (2) सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** **श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य**	
18/11/2015	अपीलार्थी द्वारा ये दो अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या क्रमशः 76/2015–16 व 77/2015–16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक क्रमशः 15.10.2015 व 06.10.2015 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी अपने रिसोर्ट्स का विवाह–समारोह इत्यादि कार्यक्रम में मैरिज पैलेस के रूप में किराये पर देता है, जिसमें लॉन, हॉल, रूम्स, सामान्य डेकोरेशन, स्थायी विद्युत उपकरण आदि सम्मिलित हैं। विभागीय टीम द्वारा अपीलार्थी के रिसोर्ट्स का दिनांक 04.08.2015 को सर्वेक्षण किये जाने पर व्यवहारी श्री ओमप्रकाश अरोड़ा द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम के लिये एक लाख रूपये शुल्क प्रभारित किया जाना तथा वर्ष 2013–14 के दौरान 68 बुकिंग एवं वर्ष 2014–15 में 70 बुकिंग होना बताया गया, जबकि बिलों में रूपये 20–25 हजार प्रति कार्यक्रम लेना दर्शाया गया था। इस प्रकार करापवंचन की मंशा तथा कर चोरी प्रमाणित पाये जाने पर सहायक आयुक्त, (प्रतिकरापवंचन), वाणिज्यिक कर विभाग, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश राजस्थान टैक्स ऑन लग्जरीज एक्ट, 1990 की धारा 8, 20, 21(5) के तहत दिनांक 26.08.2015 को पारित करते हुए निम्न तालिका अनुसार कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त सृजित मांग राशि की वसूली पर स्थगन हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2015 व 06.10.2015 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, आरोपित शास्ति की राशि को स्थगित करते हुए, शेष कर व ब्याज की राशि पर स्थगन से इंकार किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा ये दोनों प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में कर व ब्याज की बकाया मांग राशियों की वसूली को स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :– लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – (1–2) 1825/2015 व 1826/2015..... जिला .....श्रीगंगानगर.....

उनवान : मैसर्स ओरबिट इन रिसॉर्ट्स, श्रीगंगानगर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर बीकानेर (2) सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 3 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/11/2015	उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा अधीनस्थ अधिकारियों के निर्णयों का अवलोकन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरणों में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरणों में बकाया शेष राशि **रूपये 5,66,136/– एवं रूपये 4,90,549/–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार दोनों अपीलों का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 18-11-2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 18.11.2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	